

इसे वेबसाईट www.govtressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 463]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 नवम्बर 2020—अग्रहायण 6, शक 1942

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2020

क्र. डी-15-63-18-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, दिनांक 14 नवम्बर 2020 से दिनांक 14 फरवरी 2021 तक अधिसूचित कृषि उपजों की कीमत के प्रत्येक 100/- रुपये पर वर्तमान मंडी फीस रुपये 1.50/- के स्थान पर रुपये 0.50/- नियत करती है।

यह आदेश दिनांक 14 नवम्बर 2020 से लागू होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत केसरी, प्रमुख सचिव.